

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

रखणीसिंह

बन्धन

बृजलाल झाड़ि

दावा बाबत :- 88 RT Act

मुकदमा नम्बर :- 137/21

निर्णय दिनांक :- 07.12.2021

वादी की ओर से वकील एड. पवन मिश्रा की व प्रतिवादी सं०. 1. 1. 3. की ओर से वकील एड. रोहताश खर्चा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 07.12.2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि 'श्री जीजा चैक के खाना संख्या 216/205 के खाना संख्या 723 की 2.6050 हेक्टेयर, खाना संख्या 738 की 9.3710 हेक्टेयर खाना संख्या 742 की 7.6380 कुल 19.6140 हेक्टेयर खाना संख्या में उलियाड़ी बृजलाल के नाम से 173 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। मैंने उलियाड़ी संख्या 1 बृजलाल का नाम कलमजम किया जाकर वादी रखणीसिंह व उलियाड़ी संख्या 2 जगदीरसिंह, उलियाड़ी संख्या 3 साधुबसम को खिस्सा ठरावर के खानेदार कारन कार घोषित किया जा रहा है। उलियाड़ी संख्या 1 ने अपना सामग्री एक व खिस्सा वादी व उलियाड़ी संख्या 2 व 3 के पत्र में टाग कर शून्य कर लिया है इसलिए टाग किया खिस्से पर पंजीपन विभाग को देप पंजीपन शुल्क एवं स्टाम्प इष्टी अदा करने व यदि खिस्से के खाने होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में हमलरामड किया जावे। खानेनाम को खिस्से का भाग पदा जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)

